



|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| <p>तारीख हुकम</p> | <p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br/>         प्रार्थना पत्र संख्या 37/2021 GCMS NO. 2021/127<br/>         उनवानी सांवलराम आदि बनाम ग्यारसीलाल आदि<br/>         अन्तर्गत धारा 111/128 एल.आर.एक्ट 1956<br/>         बाबत पत्थरगढ़ी</p>   | <p>नम्बर व तारीख<br/>         अहकाम जो इस<br/>         हुकम की तामील<br/>         में जारी हुए</p> |
| <p>30.04.2024</p> | <p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता प्रार्थीगण को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता प्रार्थीगण हाजिर आये। पत्रावली की गत आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की तलबी करवाये जाने हेतु बार-बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र दायरी से लेकर आज तक अप्रार्थी संख्या 2, 6 से 9 व 16 की तलबी नहीं करवाई है। इससे यह जाहिर होता है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की तलबी कराने में कोई रुची नहीं है। बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र तलबी के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <div style="text-align: center;"> <br/>             (सविता शर्मा)<br/>             उपखण्ड अधिकारी एवं<br/>             पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी<br/>             जिला नीमकाथाना (राज.)<br/> <b>उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी</b> </div> <div style="text-align: center;">  </div> |  |

